2022 का विधेयक संख्यांक 230.

[दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और
अधिनियमिति का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2022 है ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

2. पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है ।

अधिनियमिति का संशोधन ।

3. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है ।

व्यावृत्ति ।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है ;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा ;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी पड़ेगा कि वह, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमशः पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ हो ;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885
1934	15	गन्ना अधिनियम, 1934
1950	74	तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950
1965	44	द मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एक्वीजीशन ऑफ अंडरटेकिंग) ऐक्ट, 1965
1974	28	कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974
1976	100	मेटल कारपोरेशन (राष्ट्रीकरण तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976
1982	71	आन्ध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982
1983	17	दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1983
1994	13	वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994
2018	1	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017
2018	8	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	21	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	23	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	27	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम,2018
2019	6	स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	8	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	11	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	14	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019

(1)	(2)	(3)
2019	24	सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	36	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019
2019	37	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019
2020	19	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020

दूसरी अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
2013	5	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2013
2013	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2013
2013	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2013
2013	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2013
2013	9	विनियोग अधिनियम, 2013
2013	10	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2013
2013	15	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2013
2013	16	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2013
2013	21	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2013
2014	2	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2013
2014	3	विनियोग (रेल) संख्यांक 4 अधिनियम, 2013
2014	4	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2014
2014	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2014
2014	12	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014
2014	13	विनियोग अधिनियम, 2014
2014	21	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2014
2014	22	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2014
2014	23	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014
2014	24	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2014
2014	38	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2014
2015	6	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2015
2015	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2015
2015	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015
2015	9	विनियोग अधिनियम, 2015
2015	13	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2015
2015	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2015
2015	24	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2015
2015	25	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015

(1)	(2)	(3)
2016	7	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2015
2016	8	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2015
2016	14	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2016
2016	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2016
2016	19	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016
2016	20	विनियोग अधिनियम, 2016
2016	26	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2016
2016	29	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2016
2016	46	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2016
2016	50	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2016
2016	51	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2016
2017	8	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2017
2017	9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2017

तीसरी अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
2012	12	फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011	धारा 31क की उपधारा 3 में "और केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक उपाय है जिसके द्वारा अधिनियमितियां, जो अब प्रवृत्त नहीं है या अप्रचालित हो गई हैं या जिनको पृथक् अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित करना अनावश्यक हैं, निरसित कर दी गई हैं या जिनके द्वारा अधिनियमितियों में पता लगाई गई औपचारिक त्रुटियों को सही कर दिया है ।

2. तीसरी अनुसूची का टिप्पण विधेयक में सुझाए गए संशोधन के कारणों को स्पष्ट करता है जिनके संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

3. विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध अंतर्विष्ट है जिसका इस प्रकार के विधेयक में सम्मिलित किया जाना प्रायिक है ।

नई दिल्ली ;
14 दिसंबर, 2022

किरेन रीजीजू

तीसरी अनुसूची पर टिप्पण

फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12)—अधिनियम का प्रस्तावित संशोधन प्रत्यक्ष गलती को ठीक करने के लिए है ।

उपाबंध

फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

31क. (1) * * * * *

(3) रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा उसकी एक प्रति को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

* * * * * *